



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-09-05-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त त्वासीन को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0072/2004 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त त्वासीन पुत्र सफीउल्ला निवासी जे-17/183 शक्करतालाब थाना जैतपुरा-वाराणसी को थाना जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 09.05.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल सी0जे0एम0 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त त्वासीन उपरोक्त को धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी